न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 12/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी केन्द्रीय दल कार्यालय आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर 302005 (राज0)

आवेदक

बनाम

1. संतोष कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार (खाद्य कारोबारकर्ता) मै0 श्री गोपाल जी चिलिंग एण्ड आईस्क्रीम उद्योग कुण्डा तिराहा हिण्डौन रोड बयाना जिला भरतपुर।
2. वीरेन्द्र कुमार पुत्र सुशील कुमार मालिक मै0 श्री गोपाल जी चिलिंग एण्ड आईस उद्योग कुण्डा तिराहा हिण्डौन रोड बयाना जिला भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3(1) (zx) एवं धारा 26(2) (ii) एवं धारा 51 सपठित धारा 49 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक : 27.2.2018

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(1) (zx) एवं धारा 26(2) (ii) एवं धारा 51 सपठित धारा 49 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नियत दिनांक को उपस्थिति हुआ। प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। इस्तगासा की नकल गैरसायल को दिलाते हुये इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 10.6.2017 को 2:45 पी0एम0 पर गैरसायल के कारोबार स्थल श्री गोपाल चिलिंग एण्ड आईसक्रीम उद्योग कुण्डा तिराहा हिण्डौन रोड बयाना का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु एस0एस0 के ड्रम टैंक में 200 लीटर मिश्रित दूध संग्रहित पाया गया। जिसमें शक होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–553/एक्ट/2017/574 दिनांक 27.6.2017 द्वारा उक्त मिश्रित दूध का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा अवमानक स्तर का मिश्रित दूध आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी की दुकान में दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध में अवमानक पाया गया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से दूध प्राप्त करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 10.6.2017 को गैरसायल के उक्त कारोबार स्थल से आमजनता के विक्रय हेतु संग्रहित मिश्रित दूध का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–553/एक्ट/2017/574 दिनांक 27.6.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर दूध में कोई मिलावट नहीं करना तथा दूध विक्रेताओं से क्रय करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से दूध क्रय किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि रसदी संख्या 000018 दिनांक 27.2.2018 से जमा कोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दि. 27.2.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर